(Through E-mail: judicial-ngt@gov.in)

From:-

M/s JPN Rai,
Gata no 03, village Naubarar,
1881Mo, Belsipah
Tehsil Sadar
Distt. Ballia UP (Respondent no-6)

To,

The Registrar,
Principal Bench,
Hon'ble National Green Tribunal,
New Delhi

Sub:- Compliance report of Origional Application no 701/2023 dated 02 April 2024.

Respected Sir,

Complete complicance report is attached in compliance with the order dated 02-04-2024 passed in the origional application number 701/2023 filed in the Honorable National Green Tribunal, New Delhi.

Enclosure: As above

Dated:- 1-7-2024

Regards

जयप्रकाश राय

M/s JPN Rai,
Gata no 03, village Naubarar,
1881Mo, Belsipah
Tehsil Sadar
Distt. Ballia UP (Respondent no-6)

मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओरिजनल अप्लिकेशन नम्बर 701/2023 में पारित आदेश दिनांक 02.04.2023 के अनुपालन आख्याः–

मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओरिजनल अप्लिकेशन नम्बर 701/2023 में निम्न आदेश पारित किये गये हैः–

04- Recommendation:-

- It is required to construct pakka/motorable haul road from lease/ weigth bridge to main road on priority basis to minimize the air pollution etc,
- UPPCB/Ground water Department (Ministry of Jal Sakti, Governement of UP) to take suitable action for use for unathourised bore-well by all three lease holder.

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्नलिखित हैः–

1. यह है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्रों से तौल मशीन तक एवं आस–पास सभी जगहों पर चलित ट्रैक्टर पानी टंकी द्वारा जल का छिडकाव किया जाता है एवं तौल मशीन तक गाडियों के आने जाने हेतु सड़क बना दिया गया है। जिसका स्थलीय फोटोग्राफ संलग्न हैं।
2. यह है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र के परिधि में कही भी कोई भी बोर–वेल नहीं करायी गयी है।
3. सहायक अभियन्ता लघु सिचाई विभाग के जॉच आख्या पत्रांक 333/ल0सि0/भूर्गभ जल/जॉच आख्या/2024–25 दिनांक 28.06.2024 के पत्र के अनुसार M/s JPN Rai गाटा संख्या 03 ग्राम–नौबरार 1881 बेल्सीपाह तहसील सदर, जनपद–बलिया के पते पर स्थलीय जॉच में किसी प्रकार के बोरिंग का पता नही चला पाया है। इस सम्बन्ध में आस–पास एवं स्थानीय लोगो से बोरिंग के सम्बन्ध में जॉच पड़ताल की गयी, परन्तु किसी प्रकार के बोरिंग की बात स्पष्ट नही हुयी न ही आस–पास कोई बोरिंग पायी गयी। जॉच आख्या पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

अनुपालन आख्या मा0 न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

दिनांकः– 1-7-2024

प्रार्थी

जयप्रकाश राय

(मैं0 जेपीएन राय)
गाटा संख्या–03 ग्राम नौबरार 1881मु0
बेल्सीपाहए तहसील सदर
जनपद बलिया उ0प्र0 277303
(रेस्पोडेन्ट नम्बर 06)

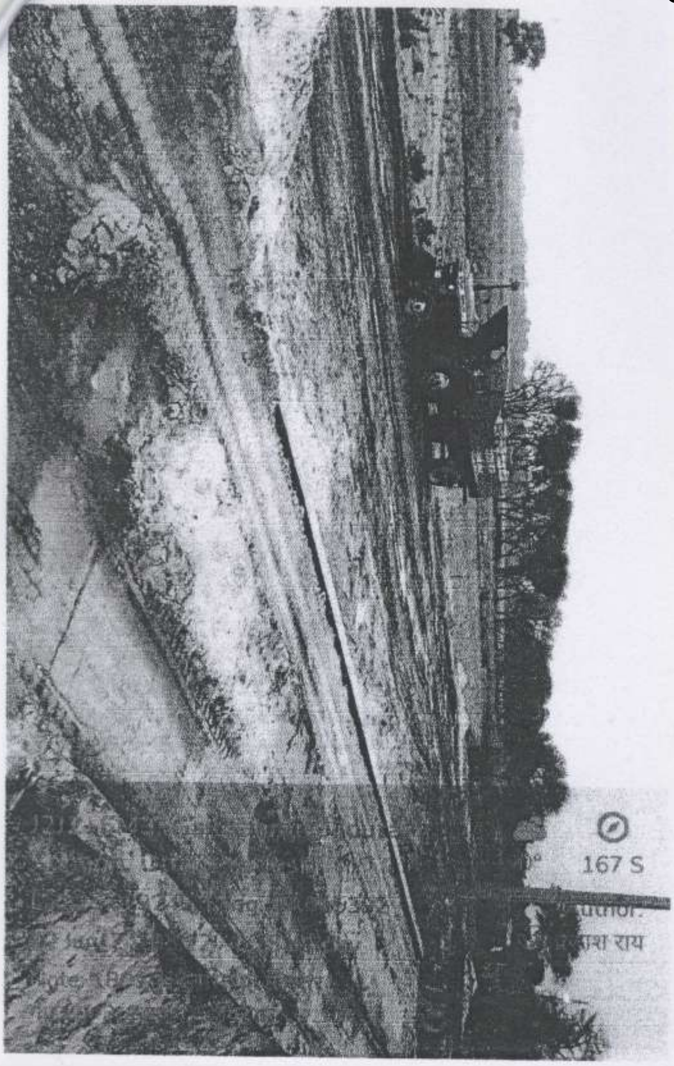

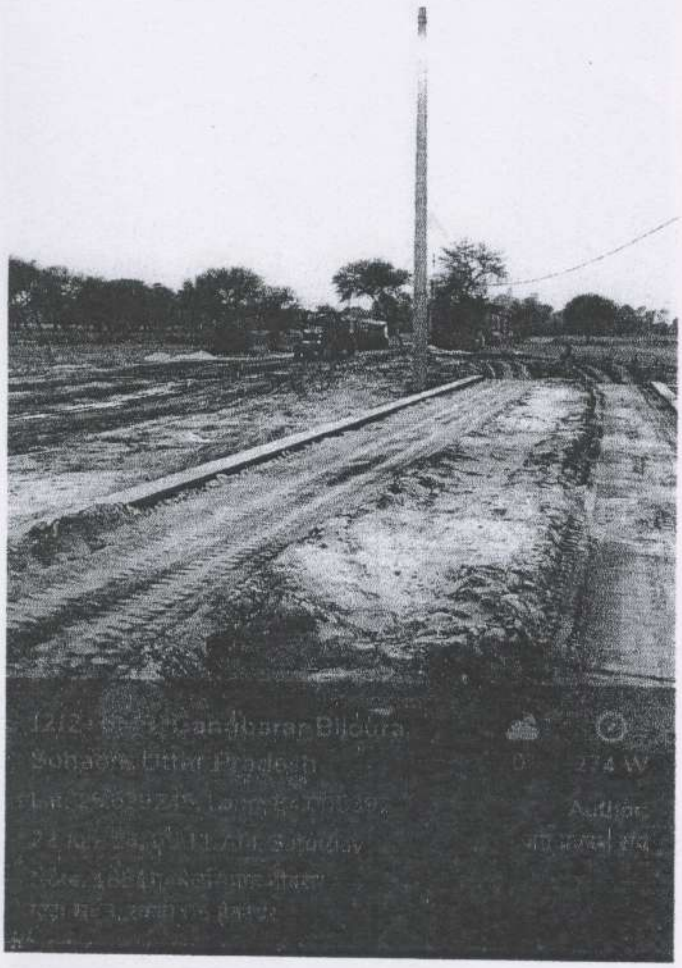

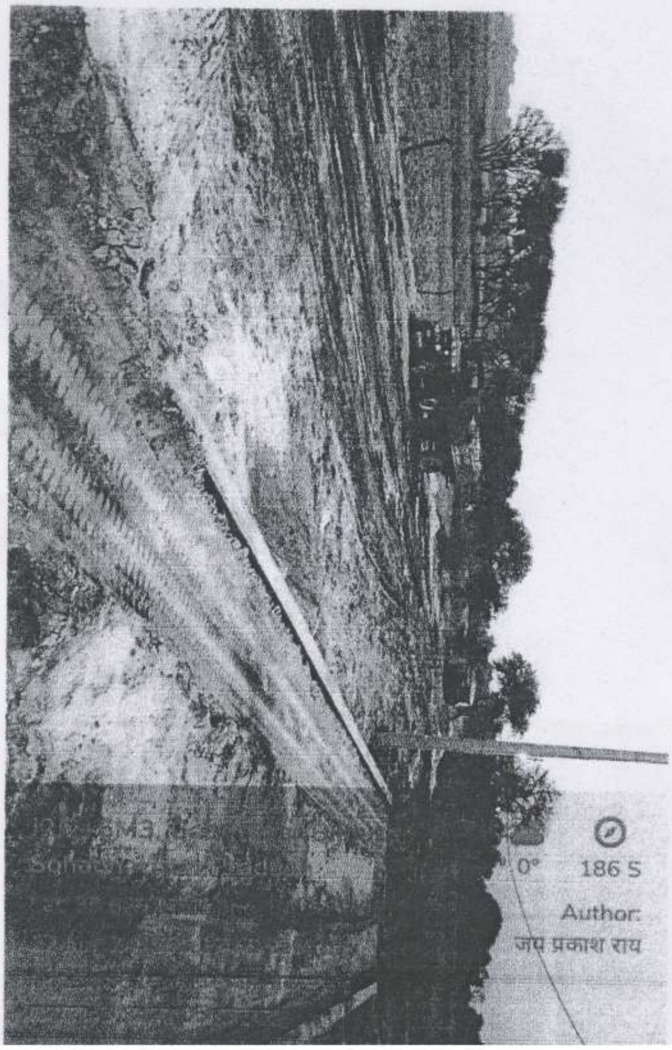

जयप्रकाशरा

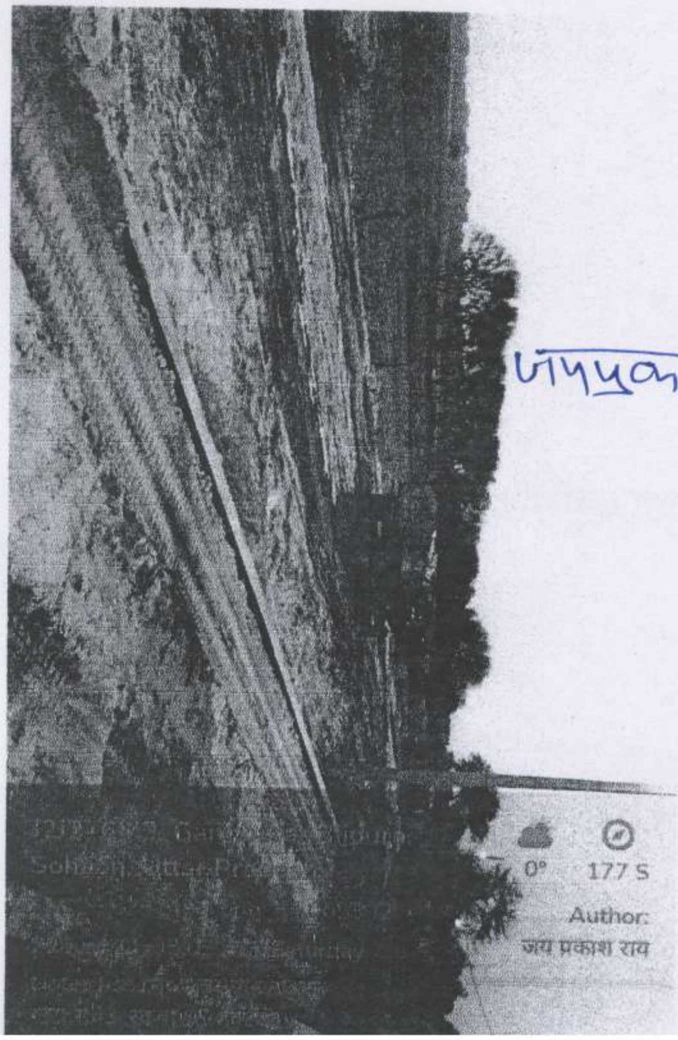

0°
167 S
Author:

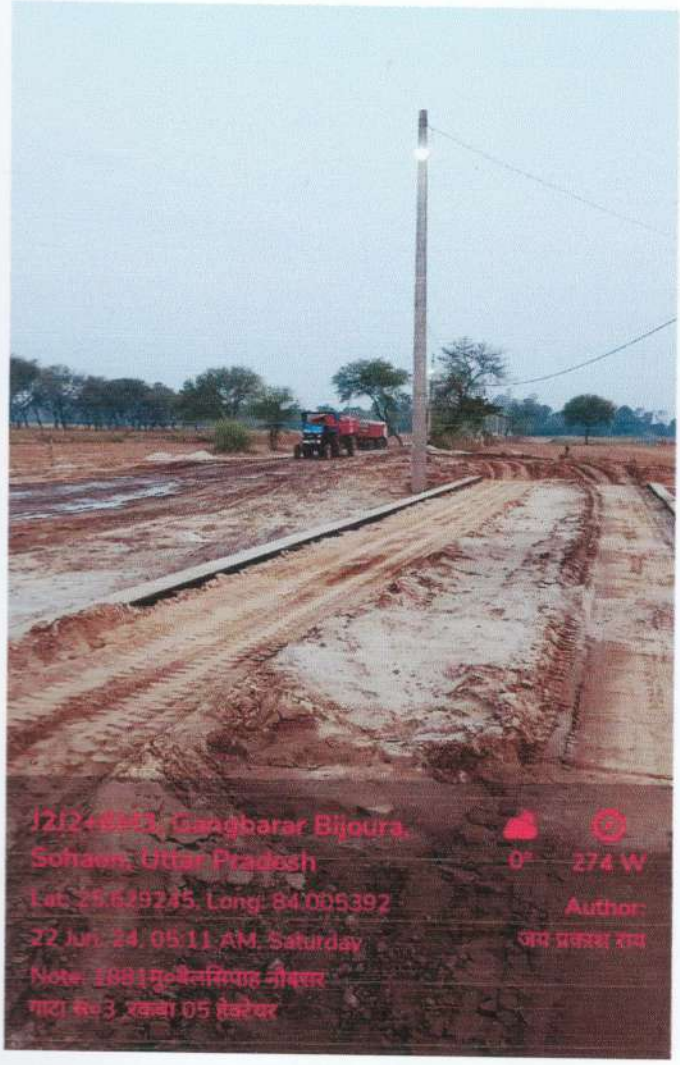
Gangbarar Bijoura,
Uttar Pradesh
22 Jun, 24, 05:11 AM, Saturday
0°
274 W
Author:

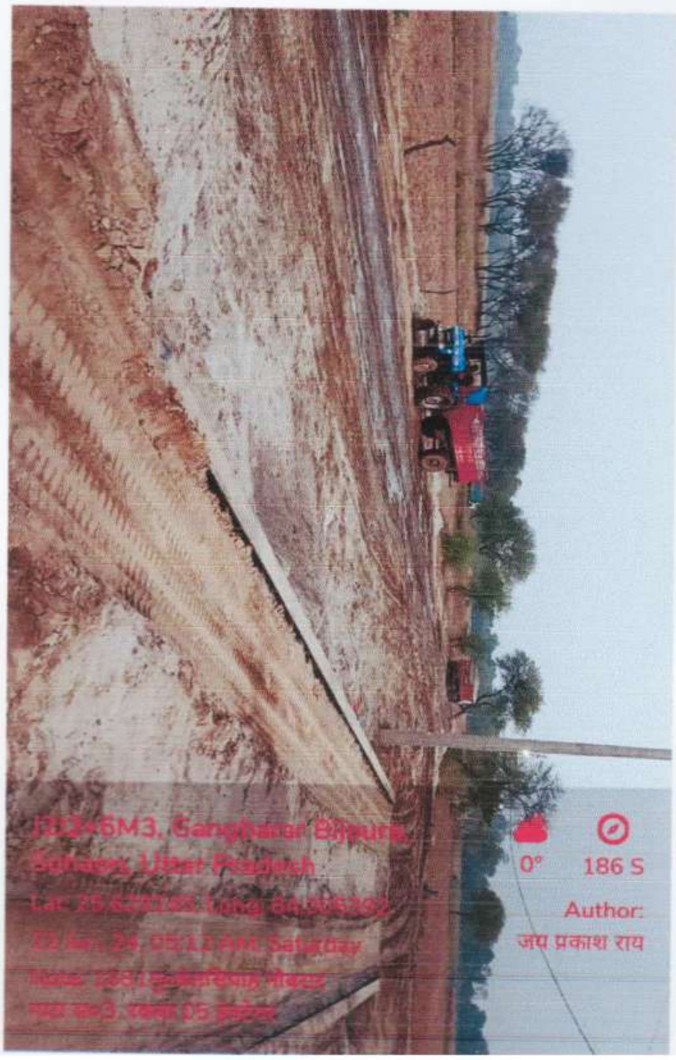
0°
186 S
Author:
जय प्रकाश राय

Uttar Pradesh
0°
177 S
Author:
जय प्रकाश राय

जयप्रकाश राय

9/6/24

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता,
लघु सिंचाई, बलिया।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद–बलिया।

पत्रांक 333 / ल0सिं0 / भूगर्भ जल / जॉच आख्या / 2024–25 दिनांक– 18-06-2024

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या 1078 दिनांक 22.05.2024 एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बलिया के पत्र संख्या 103 दिनांक 20.05.2024 द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ के पत्र संख्या 106 दिनांक 02.05.2024 एवं साथ में संलग्न मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0नं0–701 / 2023 में दिनांक 02.04.2024 को पारित आदेश का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ द्वारा तीनों lease holders के विरूद्ध भूगर्भ जल अधिनियम 2019 के अन्तर्गत कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में भूगर्भ जल अधिनियम 2019 के अन्तर्गत तीनों lease holders को नोटिस के माध्यम से अवगत कराया गया है कि बोरिंग संचालन करने के लिए भूगर्भ जल विभाग से 15 दिनों के अन्दर एन0ओ0सी0 प्राप्त कर लिया जायें, अन्यथा आपके के विरूद्ध भूगर्भ जल अधिनियम 2019 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये नोटिस के कम में lease holders द्वारा शपथ पत्र एवं खतौनी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें तीनों lease holders द्वारा उल्लेख किया गया है कि हमारे खनन क्षेत्र में कहीं भी किसी प्रकार का बोरिंग नहीं कराया गया है।

अवगत कराना है कि M/S Shiva Enterprises गाटा संख्या 593, खैराखास तहसील बेलथरा रोड एवं गाटा संख्या 03, ग्राम– नौबरार में खनन क्षेत्र में कोई भी बोरिंग नहीं पाई गई है, परन्तु कुछ दूरी पर एक बोरिंग मिली जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा पास के मठ के जमीन पर एवं मठ द्वारा पानी के लिए बोरिंग के बात कही गई है। इस सम्बन्ध में जॉच ऑख्या एवं lease holder द्वारा शपथ पत्र एवं खतौनी संलग्न किया गया है। गाटा संख्या 1881 बेलशीपाह तहसील सदर, जनपद–बलिया के बालू खनन के क्षेत्र में कोई भी बोरिंग नहीं पायी गयी हैं, तथा श्रीमती माधुरी सिंह ग्राम मुजौना, तुर्तीपार तहसील बेलथरा रोड एवं M/S JPN Rai ,गाटा संख्या, 03 ग्राम– नौबरार 1881 बेलशीपाह तहसील सदर, जनपद– बलिया के बालू खनन के पते पर स्थलीय जॉच में किसी तरह की बोरिंग का पता नहीं चल पाया। इस सम्बन्ध में आस–पास एवं स्थानीय लोगों से बोरिंग के सम्बन्ध में जॉच पडताल की गई, परन्तु किसी प्रकार की बोरिंग की बात स्पष्ट नहीं हुई न ही आस–पास कोई बोरिंग ही पायीं गई।

संलग्नकः जॉच आख्या, शपथ पत्र एवं खतौनी की छायाप्रति।

भवदीय

सहायक अभियन्ता,
लघु सिंचाई, बलिया।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः

1. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बलिया की सेवा में सादर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को सादर सूचनार्थ।
3. खनन अधिकारी, बलिया को सूचनार्थ।

जयप्रकाश राय

सहायक अभियन्ता,
लघु सिंचाई, बलिया।